

**मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-द्वितीय, सिंचाई विभाग, ३०प्र० गोण्डा  
राप्ती नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, बलरामपुर  
सरयू नहर खण्ड-५, गोण्डा**

**जनपद खलीलाबाद में खलीलाबाद शाखा एवं राज० प्रणालियों के खरीफ १४२० फसली वर्ष २०१२-१३ में चलने का साप्ताहिक कार्यक्रम**

क्र० सं०	नहर का नाम	लाभान्वित जनपद	परिकल्प शीर्ष निस्सरण क्यूमेक	वर्तमान वास्तविक शेष क्षमता	लम्बाई किमी० (चलित)	शीर्ष से चलने के दिन/समय	17.6.12 तक नहरों के रख-रखाव के सम्बन्ध में बद्द	साप्ताहिक नहर प्रारम्भ होने का दिनांक																
								मुख्य शाखा	वितरण प्रणाली	20.6.12	27.6.12	04.7.12	11.7.12	18.7.12	25.7.12	1.8.12	8.8.12	15.8.12	22.8.12	29.8.12	5.9.12	12.9.12	19.9.12	26.9.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	खलीलाबाद शाखा 39.00 से 54.06 तक	खलीलाबाद	-	2184	54.06		बुधवार 8.00 बजे	ब	ब	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च	च
2	मूँडाईहा राज० 0.00 से 0.750 तक	"	-	1305	-	0.750	"	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब
3	तिलजा राज० 0.00 से 0.025 तक	"	-	928	-	0.025	"	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब
4	भरवलिया राज० 0.00 से 5.00 तक	"	-	1149	-	5.000	"	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब
5	सुजिया राज० 0.00 से 5.800 तक	"	-	843	-	5.800	"	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब	ब

नोट:- 1- ब का तात्पर्य है, नहर का बद्द रहना।

2- च का तात्पर्य है, नहर का चलना।

3- खलीलाबाद शाखा में पानी उपलब्ध होने पर उससे सम्बन्धित मूँडाईहा, तिलजा, भरवलिया, सुजिया राजवहा एवं अल्पिकाओं में रोस्टर के अनुसार नहर का संचालन किया जायेगा।

4- इस खण्ड की सभी नहरें निर्माणाधीन हैं जहां तक नहरें निर्माणाधीन हैं वहां तक सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

5- नहरें निर्माणाधीन होने के कारण बीच-बीच में निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यकतानुसार नहरें बद्द की जा सकती हैं।

6- वर्षा के कारण या अन्य कारणों से मांग पानी कम होने पर बिना पूर्व सूचना के नहरें बद्द या कम की जा सकती है।

7- ऊपर से पानी मिलने पर ही इस खण्ड की नहरों का संचालन किया जायेगा।

जिलेदार

सरयू नहर खण्ड-५, गोण्डा

अधिशासी अभियन्ता

सरयू नहर खण्ड-५, गोण्डा

जिला कृषि अधिकारी

खलीलाबाद

अपर जिलाधिकारी

खलीलाबाद

मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना-द्वितीय, सिंचाई विभाग, ३०प्र० गोण्डा  
 राप्ती नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, बलरामपुर  
 सरयू नहर खण्ड-५, गोण्डा  
 नहरों के प्रभारी कार्यक्रम

नहरों के नाम	अवर अभियन्ता	जिलेदार	सींचपर्यवेक्षक	सींचपाल	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	मुख्यालय
खलीलाबाद शाखा	श्री मकसूद खान श्री आर०पी० सिंह श्री रामराज यादव	पूर्व नहरायन नहर	श्री बालक राम श्री सत्यदेव त्रिपाठी श्री राम नरायन वर्मा	श्री अशोक कुमार श्री विजय कुमार	श्री विश्वम्भर (नवप्रोन्जत अधि.अभि.) श्री हरि शंकर प्रसाद	श्री अरुण कुमार	
मूँडाडीहा राज०	श्री चौथी राम		श्री बालक राम	श्री अशोक कुमार	श्री विश्वम्भर (नवप्रोन्जत अधि.अभि.)		
तिलजा राज०	श्री राम राज यादव		श्री सत्यदेव त्रिपाठी	श्री विजय कुमार	श्री सी०बी० राम (नवप्रोन्जत अधि.अभि.)		
सुजिया राज०	श्री सुनील कुमार		श्री बालक राम	श्री अशोक कुमार	श्री विश्वम्भर (नवप्रोन्जत अधि.अभि.)		
भरवलिया राज०	जय हिन्द भारती		श्री सत्यदेव त्रिपाठी	श्री विजय कुमार	श्री हरि शंकर प्रसाद		

उत्तर
मूँडाडीहा राजवहा
तिलजा राजवहा
भरवलिया राजवहा
सुजिया राजवहा
दक्षिण

### किसान भाईयों

(अब्द्ध क्या आप जानते हैं कि:-

- ; १ ब्द्ध पफसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने कम उपज होती है।
- ; २ ब्द्ध कुलावों की गूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देखा बन्द किया जा सकता है।
- ; ३ ब्द्ध यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग १५ सेमी० भाग मेड़ से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लगेगा।
- ; ४ ब्द्ध शामिल बरहा:- किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसी गूल में निजी साधन से पानी लेकर सींच की गयी हो तो नहर सिंचाई कर लगेगा। यदि पूरी पफसल नहर का पानी न लेना हो तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को पफसल आरम्भ होने से पूर्व लिखित रूप में दें। इस अवस्था में शामिल बरहा नहीं होगा। परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया हो तो सिंचाई विभाग का चार गुना दण्ड सिंचाई कर के अतिरिक्त लगेगा।
- ; ५ ब्द्ध तावान:- यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधनिक ढंग से की गयी तो सींचकर के अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायेगा।
- ; ६ ब्द्ध आबजाया:- यदि नहर कापानी बिना बोए खेत में पफैलता है तथा गहराई १५ सेमी० के अधिक हो तो दुगना, यदि ३० सेमी० से अधिक हो तो तीन गुना सींचकर जो उस पफसल के लिए सबसे अधिक दर का होगा, लगेगा।
- ; ७ ब्द्ध सिंचाई कर में छूट:- दैवीय आपदा जैसे ओला, टिड़ी, माहू आदि से पफसल नष्ट हो जाये तो ४९ प्रतिशत पर कुछ नहीं, ५० प्रतिशत से ७४ प्रतिशत पर आध तथा ७५ प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींचकर में देय है।
- ; ८ ब्द्ध गलत इन्ड्राजः- असिंचित खेत यदि सिंचित लिखी हो तो पर्चा वितरण के २१ दिन के अन्दर, यदि डाल सींच को तोड़ तथा गलत सींच अंकित हो तो ३० दिन के अन्दर प्रार्थना पत्रा प्राप्त कराने के १५ दिन में पफसल न कारें।
- ; ९ ब्द्ध नहर सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न सम्पर्क करें।  
 अधीक्षण अभियन्ता:- नये कुलावों की मांगद्वं कमाण्ड विभाजन दहन नया स्थान परिवर्तन, नई नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के विरु( अपील )  
 अधिशासी अभियन्ता:- नहरों का संचालन, नहरी सम्पत्ति कर नीलामी एवं भूमि का प्रतिकर एवं खाँदी से हानि, नालों की सपफाई तथा नहरों की पट्टी पर वाहन चलाने की अनुमति, आबजाया एवं तावान।  
 उपराजस्व अधिकारी:- गलत इन्ड्राज पफसल सोखत, निगरानी गूल।  
 अवर अभियन्ता:- टेलों पर पानी का कमी, खाँदी करिंग, नहर एवं नालों की सपफाई तथा कुलावों की ठीक ढंग से चलाना।  
 क्या करें:- १. सिंचाई के पूर्व गूलों की सपफाई करें। २- पानी उचित गहराई में ही लगायें। ३- पानी लगाने के बाद गुलाबा बन्द करें।  
 ४- पानी मिलने पर अथवा नहरों से करिंग खाँदी होने पर अवर अभियन्ता, सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करें।  
 ; १० ब्द्ध क्या न करें:- नहर न कारें, बंध न लगाये, कुलावों के स्थान में परिवर्तन न करें, नहर की सड़क पर बैलगाड़ी ट्रैक्टर अथवा ट्रक बिना पूर्व अनुमति से चलाया जाना दण्डनीय है।  
 ; ११ ब्द्ध समस्याओं के निराकरण हेतु:- किसान सेवा केन्द्र पर माह के प्रत्येक गुरुवार को सींचपाल से एवं माह के अन्तिम शुक्रवार किसी पर तथा अधीक्षण अभियन्ता से कृषक बन्दु की बैठक में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को सहायक अभियन्ता से माह में तीसरे शनिवार को जनपद में ; किसी एक परब्द व अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता से सिंचाई बन्दु की बैठक में माह तृतीय शनिवार को सम्पर्क किया जा सकता ले

अधिशासी अभियन्ता  
सरयू नहर खण्ड-5, गोणड